


148 भाग 1 अक्षांश
समाज कल्याण विभाग



2 (4)

संक्रि: एका 11141 आचार्य डॉ. श्री 5/43566-635

जयपुर, दिनांक: 13.11.2010

भारत रिजर्व बैंक,
.....

समाप्त पिला कलेक्टर,
.....

विषय: - उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण-
पत्रों का सत्यापन/स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग के तंत्र में निहित निम्नलिखित सिफारिशों को स्वीकार करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में विवेचन है कि जाति/संगुटाय संबंधी प्रमाणपत्रों के उचित सत्यापन हेतु आवश्यक ठहर उठाने के लिए तथा टीवी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने के लिए में वैधानिक संस्थानों में प्रवेश के समय प्रमाण पत्रों की जांच करना और भी आवश्यक है जहां जाति के बृद्ध प्रमाण पत्रों वाले उम्मीदवार वस्तुतः गुणांक उम्मीदवारों को श्रेष्ठ और कोशल प्राप्त करने तथा बाद में रोजगार प्राप्त करने के अर्थ में सहायता कर सकते हैं।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उनके अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने के होने के संदर्भ में प्रस्तुत जो भी प्रयत्नपूर्वक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सकें, के आधार पर अस्थायी रूप से निगूक किया जाना चाहिए तथा इस तरह के दावों को स्वीकृत होने से उन स्थानों के लिए, अस्थायी के मध्यम से सत्यापित किया जाना चाहिए जो के वे तथा उनके परिवार के लिए निवास है, यदि किसी मामले में सत्यापन करने से यह पता चलता है कि उम्मीदवार का दावा झूठा है तो उसी के बाद समाप्त कर दी जानी चाहिए।

